न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–550/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00387)

01. सुराबाई पुत्री श्री तिलोका मल स्त्री श्री प्रहलाद मल, जाति सिंधी निवासी किशनगढ़बास हाल निवासी अमरावती महाराष्ट्र।

——अपीलान्ट

बनाम

01. कमल लाल पुत्र श्री किशनलाल, जाति अहीर,
02. सुलतान सिंह पुत्र श्री किशनलाल , जाति अहीर,
03. अजीत सिंह पुत्र श्री किशन लाल जाति अहीर निवसीयान किशनगढ़बास, तहसीरल किशनगढबास, जिला अलवर।

——**असल रेस्पोडेन्ट्स**

04. अशोक कुमार पुत्र श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम, जाति सिंधी,
05. अखलेश कुमार पुत्र श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम, जाति सिंधी,
06. नरेश कुमार पुत्र श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम, जाति सिंधी,
07. विमल कुमार पुत्र श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम, जाति सिंधी,
08. ज्योति पुत्री श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम,जाति सिंधी,
09. राखी पुत्री श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम, जाति सिंधी,
10. द्वारी बाई स्त्री श्री चंदीराम उर्फ चांदीराम जाति सिंधी निवासीयान किशनगढबास जिला अलवर।
11. इन्द्रा देवी स्त्री झागीराम पुत्र सुन्दरीबाई, जाति सिंधी,
12. संजय पुत्र झागीराम पुत्र सुन्दरी बाई, जाति सिंधी,
13. अजय पुत्र झांगीराम पुत्र सुन्दरीबाई, जाति सिंधी,
14. राजेश पुत्र झांगीराम पुत्र संन्दरी बाई, जाति सिंधी निवासीयान किशनगढबास हाल निवासीयान सीधी जिला सीधी मध्यप्रदोश

——**तरतीबी** रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री रामेश्वरदयाल शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री किशन स्वामी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 26.10 .2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.08.2008 का है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया तथा बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03.06.2019 को हुई जब

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 493 वाके ग्राम किशनगढ़बास के पट्टे के सम्बन्ध में तहसीलदार किशनगढबास के यहॉ कार्यवाही चल रही है जिस पर अपीलान्ट ने तहसील में जाकर जानकारी की तो अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार किशनगढबास के आदेश की नकल हेतु दिनांक 03.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल दिनांक 12.06.2019 को प्राप्त हुयी। उक्त नकल लेने के बाद अपीलान्ट को वकील ने बताया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर के आदेश व पट्टे की नकल भी लेकर आओ जिस पर अपीलान्ट की ओर से तहसील में नकल हेतु जो प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2019 को पेश किया था उसकी नकल दिनांक 25.06.2019 को प्राप्त हुयी। इस प्रकार जानकारी की तारीख दिनांक 20.08.2019 से 03.06.2019 तक का समय उक्त स्थिति में धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कण्डोन किये जाने योग्य है। जिसके लिये अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम किशनगढ़बास में स्थित है जिसका साबिक खसरा नम्बर 379 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा था तथा जिस आराजी का पट्टा दिनांक 09.09.1980 को श्री तिलोकामल के हक में जारी किया गया, उक्त पट्टे के विरूद्ध असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दायर की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पट्टा निरस्त कर दिया। विवादित आराजी तिलोकामल की थी जिसके वारिसान अपीलान्ट व तरतीबी रेसपोडेन्ट्स है जिन्हे जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट हक, हकूक, अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे है तथा अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है जिस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट को अपील दायर किया जाना आवश्यक हुआ है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थी इसलिये उक्त स्थिति में अपीलान्ट को अपील दायर किये जाने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 379 हाल खसरा नम्बर 493 वाके ग्राम किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी का श्री तिलोका मल को पट्टा जारी किया था। पट्टा जारी होने के बाद श्री तिलोका मल के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 223 दर्ज कर दिया गया और श्री तिलोका मल के मरने के बाद उसके वारिसान चांदीराम, सुराबाई व सुन्दरी बाई के नाम नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 28.06.1981 को स्वीकार हो गया व श्री चांदीराम को स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट है, श्रीमती सुन्दरी बाई का भी स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट सख्या 11

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लगायत 14 है। उन्होने आगे कथन किया है राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट सुराबाई व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 10 के पति/पिता व सुन्दरी बाई को नाम को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया तथा उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2008 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असल रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर किशनगढबास के आदेश दिनांक 09.09.1980 के विरूद्ध जुलाई सन् 2007 में लम्बे समय बाद अपील दायर की थी जिस स्थिति में अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किया जाना चाहिये था किन्त अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर अपील स्वीकार की जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित आराजी का पट्टा श्री तिलोका मल को विधि अनुसार जारी किया गया था असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसमे विवादित आराजी पर उनका कब्जा होने के आधार पर पट्टे को निरस्त कराने की प्रार्थना की थी, अधीनस्थ न्यायालय ने असल रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने की जॉच करने के सम्बन्ध में प्रकरण को तहसीलदार कम मैनेजिग आफीसर किशनगढबास के यहॉ प्रतिप्रेषित कर दिया। कानूनन कब्जे के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना उचित नही था जो तथ्य न्यायालय श्रीमान् के गौर करने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि केवल कब्जे के आधार पर पट्टा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की थी असल रेस्पोडेन्ट का आराजी पर विधि अनुसार कभी कब्जा नही रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि श्री चांदीराम ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास की न्यायालय में मई 1982 में राजस्थान सरकार जरिये दावा किया था जिस दावे में सुराबाई व सुन्दरीबाई को प्रकरण में तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनाया गया था एवं भू प्रबन्ध विभाग ने मिलाने क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बुर 493 का गत खसरा नम्बर 378 दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नम्बर 493 साबित खसरा नम्बर 379 से बना है है। श्रीचांदीराम ने उक्त मिलान क्षेत्रफल को दुरूस्त कराने बाबत वाद दायर किया था जो दिनांक 06.06.1985 को डिक्री कर दिया गया। डिक्री की अनुपालना में विवादित आराजी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। उक्त स्थिति में विवादित आराजी से असल रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नही होना पुरी तरह सबित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिकार्ड पेश किया था उसमें श्री तिलोका मल के वारिसान का नाम दर्ज था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2008 को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से पीडित पक्षकार नही है क्योंकि अपीलान्ट ने अपील में अपने आपको तिलोका मल की पुत्री दर्ज किया है जबकि तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर किशनगढबास द्वारा सनद पट्टा चन्दीराम उर्फ चांदीराम को जारी किया गया है। अपीलान्ट चांदीराम की वारिस नही है तथा ना ही अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है। इस प्रकार अपीलान्ट पीडित पक्षकार नही होने के कारण उसको अपील करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है तथा दोनों कॉलेसिव व बेमिल्लत होकर एक दूसरे के होकर अपील प्रस्तुत करायी गई जबकि अपीलान्ट का कोई हित निहित नही है। इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व अपील खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगातय 3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय दिनांक 20.08.2008 की पूर्व से ही जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक ही नही था क्योंकि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा जो सनद पट्टा जारी किया गया है वह चन्दीराम उर्फ चांदीराम के नाम से जारी किया गया था तथा अपीलान्ट चन्दीराम उर्फ चांदीराम की कानूनी वारिस नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने अपील को मियाद में शुमार करने की नियत से ही अपीलार्थी सुराबाई के द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करवाई गई है तथा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिये कोई उचित एवं संतोषप्रद कारण भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किये गये है। इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें एवं अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में तहसीलदार किशनगढबास द्वारा सनद पट्टा जारी करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को कोई नोटिस जारी नही किया गया, ना ही कोई मौके की जॉच की गई, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही गलत रूप से सनद पट्टा जारी किया गया है जबकि विवादित आराजी पर त्रिलोका मल पुत्र हरगुनमल अथवा अपीलान्ट या तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स का कभी कोई कब्जा नही रहा है बल्कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपने बुजुर्गो के समय से काबिज चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में काफी समय पहले से रेस्पोडेन्ट के दादा का इन्द्राज उप कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा है। पहले आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के बुजर्ग काबिज थे और आज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 काबिज है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा विवादग्रस्त भूमि का पट्टा सनद जारी करने से पूर्व मौके की जॉच नही की गई एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 20.08.2008 द्वारा प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास को रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपने बुजर्गान के समय से भूमि विवादग्रस्त पर काबिज होने का कथन कर रहे है तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2032 जिसके कॉलम संख्या 6 मे रामकरण पुत्र जोधा अहीर उपकृषक साल 15 का कब्जा दर्ज है जो अपीलान्ट का दादा बताया गया है। इस प्रकार खतौनी सम्वत् 2049 व 2053 व 2061 में भी रामकरण पुत्र जोधा अहीर उपकृषक का नाम बकाश्त के रूप में दर्ज है। उसके उपरान्त भी तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास द्वारा भूमि विवादग्रस्त की सनद पट्टा जारी करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को या उनके बुजुर्गान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और सनद पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त के मौके की जॉच भी नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2008 द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सुनकर एवं उसके कब्जे की जॉच कर नियमानुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार, कम, मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास को रिमाण्ड ही किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास के समक्ष अपने साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलीधन आदेश दिनांक 20.08.2008 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2008 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर